मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-6-5/86/3/1 भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 1987

प्रति,

1. सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   गृह विभाग.
2. पुलिस महानिदेशक,
   मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय.—गिरफ्तार किये गये शासकीय सेवक की गिरफ्तारी की सूचना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) में शासकीय सेवक को निलंबित किये जाने का प्रावधान है एवं उपनियम (2) में 48 घण्टे से अधिक की कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने या दोषसिद्ध ठहराये जाने की दशा में 48 घण्टे से अधिक कालावधि के लिये दण्डादेश (Sentence) किये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया समझा जाने का प्रावधान है.

2. उपनियम-2 के उक्त प्रावधान को देखते हुए सामान्यत: यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित पुलिस अधिकारी अथवा अभियोजन अधिकारी, नियुक्तिकर्ता अधिकारी को निरुद्ध/दण्डादिष्ट किये गये कर्मचारी के निरुद्ध/दण्डित किये गये की जानकारी देंगे. परन्तु ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार की जानकारी नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अथवा कार्यालय प्रमुख को नहीं दी जाती, जिसके कारण संबंधित कर्मचारी ड्यूटी पर कार्यरत रहते हैं तथा अन्य प्रशासनिक उलझनें भी उत्पन्न होती हैं. ऐसी स्थिति में किसी कर्मचारी को निरुद्ध/दण्डित किये जाने की जानकारी न देना अवांछनीय एवं अनुचित है.

3. अत: उपरोक्त स्थिति में शासन चाहता है कि यदि किसी शासकीय सेवक को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2) के प्रावधान के अनुसार 48 घण्टे से अधिक कालावधि के लिये, अभिरक्षा में निरुद्ध या दण्डादिष्ट (Sentenced) किया जाता है तो संबंधित पुलिस प्राधिकारी/अभियोजक अधिकारी द्वारा शासकीय सेवक के निरुद्ध/दण्डादिष्ट किये जाने की सूचना उस शासकीय सेवक के नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को आवश्यक रूप से तुरन्त दी जाय.

4. शासन के उपरोक्त निर्देशों से कृपया समस्त अधीनस्थों एवं सक्षम पुलिस प्राधिकारियों/अभियोजक अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय.

हस्ता./-
(एन. एस. सेठी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.